



2026: AHC: 29917-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका संख्या - **349/2026**

चिटू चौरसिया याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य उत्तरदाता(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: भास्कर भट्टा, राजवीर चौरसिया

उत्तरदाता(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता), वीरेंद्र कुमार गुप्ता

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शेलेंद्र

1. यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा उत्तरदाताओं को 'सातल तलैया (नया पुरा बंधन वार्ड), महोबा' नामक स्थान से उठरे हुए पानी और गीले कचरे को हटाने तथा उस स्थान का नवीनीकरण करने का निर्देश देने का मांग करते हुए दायर की गई है।
2. यह दसौलें दी गई हैं कि पानी रुकने के कारण बहुत सारी समस्याएँ पैदा हो रही हैं।
3. याचिका के अवलोकन से संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता ने 13.07.2025 को एक प्रत्यावेदन दिया था और संबंधित समय के चित्र संलग्न किए थे, हालांकि, उसके बाद कथित तौर पर 22.12.2025 को एक प्रत्यावेदन दायर किया गया है और याचिका 02.02.2026 को दायर की गई है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. याचिका कहीं भी विचाराधीन स्थान की वर्तमान स्थिति का संकेत नहीं देती है। जो चित्र प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हें भी संबंधित समय के संदर्भ में नहीं बताया गया है और न ही कोई तर्क दिया गया है कि स्थिति अभी भी वैसी ही बनी हुई है।
5. इसे देखते हुए, याचिकाकर्ता द्वारा दायर इस अधूरी और सतही याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं है।
6. इसलिए, याचिका को खारिज किया जाता है, याचिकाकर्ता के लिए यह विकल्प खुला छोड़ दिया जाता है कि वह स्थिति और शिकायत को दर्शाने वाली सामग्री के साथ जिला कलेक्टर, महोबा को एक विस्तृत प्रत्यावेदन दें। यदि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा प्रत्यावेदन दिया जाता है, तो जिला कलेक्टर से अपेक्षा की जाती है कि वे उठाई गई शिकायत पर गौर करें और सुनिश्चित करें कि शिकायत के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश)

11 फरवरी, 2026

आर.के./शाजिया

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"